P-1 R.M.M. Law College - Saharsa.
Manvendra Mandal, Part time Lecturer
Subject- Contract-1
First-part.

धारा 6. प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है?
(Revocation how Made)

प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है—

संविदा सम्बन्धी कोई भी कृत्य न तो एकपक्षीय हो सकता है न ही गुप्त। वह न केवल प्रगट कार्य होता है अपितु दोनों पक्षकारों की जानकारी में भी होता है। विधिक भाषा में यह जानकारी संसूचना (Communication) द्वारा कराई जाती है।

संविदा अधिनियम के तहत् यह सर्वविदित है कि वचन का उद्भव प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण से होता है। किसी व्यक्ति का प्रस्ताव तब-तक वचन का रूप नहीं लेता जब-तक वह वचनग्रहीता द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता। विधिपूर्ण संविदा का स्थान लेने के लिए प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण की संसूचना एक दूसरे पक्षकार को होना भी आवश्यक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भी स्वतंत्र होता है। ऐसी ही स्वतंत्रता प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को भी उपलब्ध है लेकिन यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं होकर प्रतिबन्धित है। कतिपय परिस्थितियों एवं शर्तों के अन्तर्गत ही प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण को वापस लिया जा सकता है। विधिक भाषा में इसे प्रतिसंहरण या उपरवसन (Revocation) कहते हैं। धारा-6 में प्रस्थापना के revocation के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है—

निम्न तरीके से प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जाता है—

(1) प्रस्थापक द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किये जाने से

(2) ऐसी प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से या कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्तियुक्त समय बीत जाने से।

(3) प्रतिग्रहण की किसी पुरोभाव्य शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहीता (acceptor) की असफलता से, अथवा

(4) प्रस्थापक की मृत्यु या उन्मत्तता से, यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतिग्रहीता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाय।

6. Revocation how Made— A proposal is revoked

(1) By the communication of notice of revocation by the proposer to the other party.

Scanned with CamScanner

P-2 धारा 6 प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है? (Revocation how made),

② By the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance, or, if no time is so prescribed by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance.

③ By the failure of the acceptor to fulfil a condition precedent to acceptance, or

④ By the death or insanity of the proposer, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor befor acceptance.

① प्रतिसंहरण की सूचना के द्वारा— प्रस्थापक acceptor को अपनी प्रस्थापना के प्रतिसंहरण की सूचना देकर उसे प्रतिसंहृत कर सकता है। प्रतिसंहरण का यह एक सामान्य तरीका है।

- यदि प्रतिसंहरण की सूचना "फैक्स संदेश (Fax Message) द्वारा भेजी जाती है, लेकिन फैक्स गलत नम्बर पर किया जाता है तो इससे Revocation नहीं होगा।

- विधिपूर्ण तरीके से Revocation की सूचना या तो स्वयं प्रस्थापक द्वारा दी जानी चाहिए या फिर उसके अभिकर्ता द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। ऐसी सूचना अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से दी जा सकती है।

- नीलम विक्रय में सशर्त अथवा अस्थायी प्रतिग्रहण का कोई महत्व नहीं होता। अतः बोली लगाने वाला व्यक्ति सूचना द्वारा अपनी बोली को कभी भी वापस ले सकता है। प्रतिसंहरण की सूचना के सम्बन्ध में डिकिन्सन बनाम डाड्स का मामला महत्वपूर्ण है।

② प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने पर— जहाँ प्रस्थापना में उसके प्रतिग्रहण के लिए कोई समय निश्चित कर दिया जाता है, वहाँ उस समय के भीतर acceptance नहीं किये जाने पर प्रस्थापना का Revocation हो जाता है। लेकिन जहाँ इस प्रकार का कोई समय निश्चित नहीं किया गया है वहाँ "युक्तियुक्त समय" बीत जाने पर उस प्रस्थापना का Revocation मान लिया जाता है। प्रतिग्रहण में अनावश्यक या

P-3 धारा6 प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है? (Revocation how made)

अनुचित विलम्ब इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस सम्बन्ध में रैम्सगेट विक्टोरिया होटल बनाम मान्टेफियोर तथा मुरुगप्पा चेट्टियार बनाम पी एम मिल्स लिमिटेड का मामला उल्लेखनीय है।

③ पुरोभाव्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर → जहाँ किसी प्रस्थापना के acceptance से पूर्व पुरोभाव्य शर्त (precedent condition) को पूरा किया जाना हो, वहाँ ऐसी शर्त को पूरा किये जाने में असफल रहने पर प्रस्थापना का प्रतिसंहरण हो जायगा।

उदाहरणार्थ– कमल अपना एक गृह नवल को इस शर्त के साथ बेचने की प्रस्थापना करता है कि नवल कमल को एक निश्चित तारीख तक तय धन राशि अग्रिम के रूप में देगा, लेकिन नवल उस तारीख तक कमल को तय धन राशि देने में असफल रहता है। ऐसी स्थिति में कमल के प्रस्थापना का Revocation मान लिया जायगा। क्योंकि ऐसी precedent condition का पालन करने में असफल रहना acceptance से इन्कार के तुल्य है।

④ प्रस्थापक की मृत्यु हो जाने अथवा उसके उन्मत हो जाने पर → प्रस्थापना का Revocation हो जाता है, यदि –① प्रस्थापक की मृत्यु हो जाती है या वह उन्मत हो जाता है

② ऐसी मृत्यु अथवा उन्मतता acceptance से पूर्व acceptor के ज्ञान में आ जाती है।

प्रस्थापक की मृत्यु हो जाने से सम्बन्धित राजा ऑफ बोबिल बनाम सूर्यनारायण राव के मामले में [illegible] द्वारा नीलाम विक्रय का संचालन चल रहा था। बोली को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाना संविदा की एक शर्त थी। न्यायालय द्वारा बोली को स्वीकृत किये जाने के पूर्व ही बोली लगाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि बोली का प्रतिसंहरण (Revocation) हो गया था।

इस सम्बन्ध में भारतीय विधि एवं इंग्लिश में अन्तर है। इंग्लिश विधि के अन्तर्गत प्रस्थापक की मृत्यु हो जाने अथवा उसके उन्मत हो जाने पर proposal का Revocation मान लिया जाता है चाहे acceptor को इसकी information रही हो या नहीं रही हो.